उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-2/2020/वे0आ0-2-159/दस-35(एम)/2008
लखनऊ : दिनांक : 28 फरवरी, 2020

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वाँछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु गठित वेतन समिति, क्रियान्वयन सेल के लिये सृजित 03 नि:संवर्गीय पदों का कार्यकाल कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2019/वे0आ0-2-147(1)/दस-2019-35(एम)/2008, दिनांक 25 मार्च, 2019 द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2020 तक के लिये बढाया गया।

2- तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वेतन समिति की प्राप्त संस्तुतियों के परीक्षण एवं उसके क्रियान्वयन के लिये वेतन समिति क्रियान्वयन सेल के रूप में वेतन समिति हेतु सृजित निम्न् 03 नि:संवर्गीय पदों का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी, 2021 तक के लिये यदि इसके पूर्व ही इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	पदनाम	पुनरीक्षित मैट्रिक्स	पदों की संख्या
1	शोध अधिकारी	लेवल-10 (वेतनमान रू0 56100-177500)	01
2	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल-7 (वेतनमान रू0 44900-142400)	02
		कुल पद	03

3- उपर्युक्त पदों के पदधारकों को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स के अतिरिक्त महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सुविधायें जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायें, देय होंगे।

4- उपर्युक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्षक-''2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-105-विशेष जाँच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियाँ-0301-वेतन समिति का गठन'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

संख्या-2/2020/वे0आ0-2-159(1)/2020,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक वेतन पर्ची प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
(4) लेखाकार-कम कोषाध्यक्ष, कार्यालय वेतन समिति (02 प्रतियों में)
(5) सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/5

आज्ञा से,
आर0एल0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।